न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

आँगनवाड़ी वाद संख्या–53 / 2017

नीलू देवी –बनाम– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.11.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत आँगनवाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–55 पंचायत–उजान बार्ड नं0–10, प्रखंड मनीगाछी में सेविका चयन में अनियमितता एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा (ICDS) के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 368 / जि0प्रो0 दिनांक 25.03.2017 के विरूद्ध दाखिल वाद आवेदन के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त करने एवं संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनीगाछी के पत्रांक 274 दिनांक 18.07. 2017 एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा का विस्तृत प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ पत्रांक 47 दिनांक 11.01.2018 प्राप्त है तथा विपक्षी का प्रत्युत्तर प्राप्त है जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् केन्द्र पर सेविका पद के लिए चयन में अनियमितता के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.01.2017 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में आवेदन दिया गया कि मेधा सूची में अधिक अंक रहने के बावजूद भी सिर्फ मूल अंक प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण गलत ढ़ंग से विपक्षी सं0–4 का चयन कर लिया गया। अपीलार्थी को मूल प्रमाण पत्र जमा करने हेतु समय नहीं दिया गया। चयन हेतु दिनांक 30.12.2016 को वार्ड सदस्य (अध्यक्ष), वार्ड पंच, महिला पर्यवेक्षिका एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में आम सभा आयोजित की गयी, जिसमें 9(नौ) आवेदिका द्वारा आवेदन दिया गया। आम सभा में विभिन्न कारणों से कुल 07 (सात) आवेदन को निरस्त किया गया। उन सातों अभ्यर्थियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। उन सातों आवेदनों के निरस्त के पश्चात् दो अभ्यर्थी में अपीलार्थी का अंक विपक्षी सं0–04 से अधिक है। आम सभा दिनांक 30.12.2016 को अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि कॉलेज में अवकाश रहने के कारण मूल अंक पत्र नहीं मिल सका, जिसके लिए दो सप्ताह का समय दिया जाय परन्तु समय नहीं दिया गया तथा विभागीय निर्देश के विरूद्ध एवं गलत ढ़ंग से विपक्षी सं0–04 का चयन कर लिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में दिनांक 11.01.2017 को आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन के आलोक में सभी पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 06. 03.2017 को सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरान्त दिनांक 25.03.2017 को आदेश पारित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा गलत ढ़ंग से अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है। अतः अनुरोध है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के आदेश दिनांक 25.03.2017 को निरस्त करने की	

कृपा की जाय तथा अपीलार्थी को चयन करने हेतु आदेश दिया जाय।

विपक्षी सं0–04 की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–55, पंचायत उजान, वार्ड सं0–10, मनीगाछी में सेविका चयन हेतु दिनांक 30.12.2016 को आयोजित आम सभा में कुल 09 (नौ) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें से विभिन्न कारणों से 08(आठ) आवेदन को निरस्त किया गया। विपक्षी सं0–04 रीता देवी का चयन सभी अहर्त्ता को पूर्ण करने के कारण किया गया। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2017 सही है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनीगाछी के प्रतिवेदन दिनांक 18.02.2017 तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक 47/जि0प्रो0 दिनांक 11.01.2018 से स्पष्ट है कि आम सभा में प्रथम स्थान प्राप्त अपीलार्थी के द्वारा आवेदन के साथ कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, साथ ही आम सभा के दिन मात्र शैक्षणिक प्रमााण पत्र की छायाप्रति दिखलाई गयी, जिसमें चयन समिति के सदस्य और आम सभा में उपस्थित लोग संतुष्ट नहीं हुए।

अपीलार्थी के द्वारा आम सभा में मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनका चयन नहीं किया गया। आँगनवाड़ी सेविका सहायिका मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 10 में स्पष्ट रूप में अंकित है कि आम सभ में ही संबंधित मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों को सभा स्थल पर ही चयन पत्र निर्गत किया जाना है।

इसी आधार पर द्वितीय स्थान प्राप्त विपक्षी सं0–04 को आम सभा के दिन सभी अहर्त्ता को पूरा करने के कारण चयन समिति के सदस्यों के द्वारा संतुष्ट होते हुए चयनित किया गया। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा का आदेश दिनांक 25.03.2017 मार्गदर्शिका 2016 के विहित प्रावधान के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 की कंडिका 10 का पालन नहीं किये जाने के कारण उनका चयन नहीं किया गया, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा (ICDS) द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 368/जि0प्रो0 दिनांक 25.03.2017 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलवाद अस्वीकृत।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनीगाछी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा (ICDS) को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

02/11/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।